रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220705
CG-DL-E-27072020-220705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/ श्रावण 5, 1942
No. 288] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

फा0 सं0 विनियम/स्टैंडर्ड्स–केसरी दाल/एफ.एस.एस.ए.आई–2020 – खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में ओर आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप–धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप–धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई–मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 कहा जा सकता है।

   (2) ये इनके कार्यान्वयन की तिथि से लागू होंगे, जो कि पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई होगी और इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 180 दिन होगी।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के,–

(1) 'कतिपय संघटकों के प्रयोग पर प्रतिषेध' से संबंधित उप–विनियम 2.2.1 के बाद निम्नलिखित उप–विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,–

"2.2.2 उप–विनियम 2.2.1 में विहित शर्तों के होते हुए भी चना/दालों में सांयोगिक रूप से उपस्थित केसरी दाल की अधिकतम अनुमत सीमा अन्य खाद्यान्नों सहित 2% से अधिक न हो"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असा./143/2020]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधरण में अधिसूचना संख्या फा0 सं0 2:15015/30/ 2010, दिनांक 1 अगस्त द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था :

i. फा0 सं0 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013;
ii. फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना (2)/एफ.एस.एस.ए.आई–2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;
iii. फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/एफ एंड वी.पी/अधिसूचना (02)/एफ.एस.एस.ए.आई–2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;
iv. फा0 सं0 ए–1(1)/स्टैंडर्ड्स/एम.एम.पी/2012, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017;
v. फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/ओ एंड एफ/अधिसूचना (8)/एफ/एफ.एस.एस.ए.आई, दिनांक 31 जुलाई, 2018;
vi. फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/सहयोज्य–2/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई/2018, दिनांक 25 जून, 2019; और
vii. फा0 सं0 स्टैंडर्ड्स/लवण/विविध/01/एफ.एस.एस.ए.आई–2016(भाग 1), दिनांक 25 जून, 2019

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July,2020

F. No. Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020—The draft regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force with effective date for implementation to be either 1st January or 1st July subject to a minimum of 180 days from the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011,

(1) In regulation 2.2 regarding restriction on use of certain ingredient, after sub-regulation 2.2.1, following shall be inserted, namely-

"2.2.2 Notwithstanding the condition at 2.2.1, the maximum allowed limits for any incidentally occurring *Khesari dal* in grams /pulses shall be not more than 2% including other edible grains"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./143/2020]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

i. F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;

ii. F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

iii. F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

iv. F. No. A-1(1)/Standards/MMP/2012, dated the 12th October, 2017;

v. F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;

vi. F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25 June, 2019 and

vii. F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25 June, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.07.27 21:06:15 +05'30'